प्रतिलिपि आदेश दिनांक 12–6–13 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी 1663· तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–14 पारित द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 6/13 14/बी–121.

सी– निटस डेव्लपर्स एण्ड कोलोनाइजर्स
द्वारा भीगीदार जितेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान निवासी नौगांव जिला
छतरपुर म0प्र0 —-– आवेदक
विरूद्ध
म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर छतरपुर
जिला छतरपुर —— अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1663/तीन/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12.6.2014	यह निगरानी कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/13–14 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 26–4–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो के क्रम में आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एवं कलेक्टर के आदेश दिनांक 26–4–14 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में W.P.No. 3686/2009 में पारित आदेश दिनांक 16–1–14 के अनुक्रम में मौजा बगौता की भूमि सर्वे क्रमांक 1873 एवं 1874 बावत प्रकरण क्रमांक 06/13–14 बी 121 आदेश दिनांक 26–4–14 कर, अंतिम निर्णय लिया है और कलेक्टर का आदेश अंतरिम आदेश की श्रेणी में न होकर अंतिम आदेश है जिसके कारण कलेक्टर के ऐसे आदेश के विरूद्व प्रथम अपील आयुक्त/अपर आयुक्त एवं आयुक्त/अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के बाद द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में पोषणीय होगी। 4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अग्राह्य होने से अमान्य की जाती है। पक्षकार नोट करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें। (हस्ताक्षर) सदस्य	Noted (हस्ताक्षर) 12.6.14